<u>परिशिष्ठ</u>

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

<u>परियोजना विवरण :–</u> **जनपद देहरादून के अपर गढ़वाली कालोनी पेयजल योजना का सुदृढीकरण कार्य हेतु वन विभाग मसूरी रेंज से 0.075 हैक्टियर वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर को हस्तान्तरण**

1.		
	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अपर गढवाली कालोनी पेयजल योजना के अन्तर्गत उर्ध्व जलाशय निर्माण हेतु बन विभाग की 0.075 है0 बन भूमि उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर को हस्तारण
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न
	ग) परियोजना की लागत।	299.42 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	स्थानीय जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	उक्तानुसार ।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	स्थानीय जनता अस्थायी को रोजगार उपलब्ध होगें
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	0.075 है0
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नही
	क) परिवारों की संख्या	
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नही
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नही

2. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	नही
3. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	नही
4. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	

दिनांक 02/09/2019

स्थान देहरादून

अधिशासी अभियन्ता

नाम विनोद चन्द रमोला
अधिशासी अभियन्ता

मोहर उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून (उ.के.)

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)